प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.04.2025

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस, लूट व चोरी की घटनाओं से संबंधित 7,400/- रूपये व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 01.04.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत करेड़ा फरुखनगर रोड पर बटेर पथ मोड के पास चेकिंग की जा रही थी तभी दो बाइक सवार व्यक्ति फरुखनगर की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो रुके नहीं और अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करके भागने लगे। जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के बाए पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया तथा दूसरा अपराधी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम शाहनवाज पुत्र वल्लेद्दीन निवासी ईदगाह के पास इकबाल कॉलोनी पसौडा थाना टीलामोड गाज़ियाबाद बताया जिसके विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही लूट व चोरी के आधे दर्जन मुकदमे पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शाहनवाज पुत्र वल्लेद्दीन निवासी ईदगाह के पास इकबाल कॉलोनी पसौडा थाना टीलामोड गाज़ियाबाद।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस, लूट व चोरी की घटनाओं से संबंधित 7,400/- रूपये व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

आज दिनांक 02.04.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत 2/5 पुलिया थाना क्षेत्र कौशाम्बी पर सघन चेकिंग के दौरान एक कार आती हुई दिखाई दी। जिनको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। जिसमें बैठे दोनों लोगों पुलिस टीम को चेकिंग करते हुए देख कार को तेजी से भगाने लगे, जिससे कार आगे चलकर टकरा गई और दोनों लोगों ने बाहर निकल कर पुलिस टीम को अपने पास आता देख जान से मारने की नीयत से फायर झौंक दिया और भागने लगे। जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया तथा दूसरे बदमाश को भी पुलिस टीम द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण
पकड़े गए दोनों बदमाशों ने अपना नाम क्रमशः जीशान तथा आले नवी बताया गया तथा अन्य पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा थाना कौशाम्बी क्षेत्र में हुई हत्या में संलिप्तता को स्वीकार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता
1. जीशान अंसारी पुत्र मुस्लिम अंसारी निवासी कविता पैलेस आज़ाद विहार कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आले नवी पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम अनूपपुर डिबाई थाना सिंघावली जनपद हापुड़ उ0प्र0 उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण
01 तमंचा व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मधुबन बापूधाम के गैंगस्टर के अभियोग में फरार एंव रू0 25,000/- का पुरूस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-02/04/2025 को थाना मधुबन बापूधाम के गैंगस्टर के अभियोग में फरार शातिर अभियुक्त शाह फहद पुत्र नसीम अहमद निवासी 4/6 रफीक कालोनी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद हाल पता जमा मस्जिद के पास सेक्टर 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। अभियुक्त शाह **फहद उक्त गैंगस्टर के अभियोग मे लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त नगर जोन गाजियाबाद द्वारा दिनांक-11/03/2025 को रू0 25,000/- का पुरूस्कार घोषित किया गया था।**
पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त शाह फहद ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा के बाद मेकेनिकल में डिप्लोमा करके पढाई छोड दी और प्रेस टूल्स इंडिस्ट्रीज सोहना हरियाणा में सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा

जहां उसे 18 हजार महीना मिलता था । 04 साल नौकरी करने के बाद हिंडन विहार गाजियाबाद में खराद मशीन लगायी और उसमें अलग अलग कम्पनियों के पार्टस जो खराब हो जाते थे उनकी खराद मशीन पर रिपेयरिंग कर ठीक करता था या उस पार्ट को नया बनाकर देता था उसके साथ उसके मौसी का लडका जावेद भी काम करता था । इसमें ज्याद फायदा नही हो रहा था। इसी बीच शाह फहद का मिलना जुलना इकबाल जो बुलन्दशहर का था से हो गया उसने शाह फहद को पिस्टल बनाने व उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। शाह फहद ने खराद मशीन पर पिस्टल का सैम्पल लेकर पिस्टल बना दी व इकबाल को सप्लाई करने लगा, इस काम में काफी फायदा था जावेद ने भी उनके साथ खराद मशीन पर अवैध असलहा बनाना सीख लिया । शाह फहद ने अपना अवैध शस्त्रों को बनाने व उसकी सप्लाई करने का एक संगठित गिरोह बना लिया साथ ही गाजियाबाद मे फैक्ट्री एरिया मोरटा में मशीनरियों के पार्टस् बनाने की एक फैक्ट्री लगा ली । उस फैक्ट्री के अन्दर ही अवैध शस्त्र बनाने का भी काम करने लगा। उस शस्त्र फैक्ट्री में शाह फहद व जावेद खराद मशीन पर पिस्टल व तमंचे तैयार करते थे जिन्हे बेच कर इस गिरोह के लोग काफी पैसे कमाते थे। । दिनाँक-25/07/23 को शाह फहद अपने साथियों जावेद, सादिक व शिवम के साथ अवैध शस्त्र फैक्ट्री से ही गिरफ्तार किया गया था। उस समय इनके कब्जे से बनी व अधबनी काफी मात्रा में पिस्टल, तमंचे व कारतूस व अन्य उपकरण तथा असलहो को बेचने से प्राप्त 1 लाख 58 हजार रूपये बरामद हुए थे।

शाह फहद व उसके साथियों का एक संगठित अपराधिक गिरोह है, इस गिरोह के द्वारा अवैध फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने जैसा संगीन अपराध कारित किया जाता था उन अवैध शस्त्रों को बेचकर ये लोग आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे और उन पैसो से अपने खर्चे व शौक पूरे करते थे। इस गिरोह के विरूद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत था जिसमे शाह फहद उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था। इसके मौसी के लडके जावेद को क्राइम ब्रान्च द्वारा दिनांक 22.03.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- शाह फहद पुत्र नसीम अहमद निवासी 4/6 रफीक कालोनी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद हाल पता जमा मस्जिद के पास सेक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त शाह फहद के विरूद्ध गौतमबुद्धनगर मे 01 व गाजियाबाद में 02 कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- अभियुक्त पूर्व से मु0अ0सं0-46/25 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का वाँछित एंव रू0 25,000/- का पुरूस्कार घोषित अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 02.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा सहित अभियुक्त इमरान उर्फ मन्नू पुत्र साबिर निवासी भूमिका गैस एजेंसी के पास अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को भूमिका गैस एजेन्सी के पास अंसार विहार थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया

जिसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे अवैध गांजा खरीद कर लाता हूँ तथा इसकी पुडिया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ तथा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान उर्फ मन्नू पुत्र साबिर निवासी भूमिका गैस एजेंसी के पास अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर आबकारी एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकरी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.03.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि गांव की एक लडकी ने मेरी नाबालिक पुत्री की दोस्ती इसराइल व अशरफ से करायी थी ये दोनों लोग मेरी लडकी से फोन पर बात करते थे। दिनांक 24.03.2025 को इसराइल ने फोन करके मेरी पुत्री को बुलाया तथा बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठाकर कब्रिस्तान के पास खेत में ले जाकर इसराइल ने जबरदस्ती मेरी पुत्री के साथ गलत काम किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर धारा 64(1)/137(1)(बी)/87 बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्त इसराइल पुत्र बाबू खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त इमरान पुत्र असलम निवासी ग्राम कांवरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 02.04.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र असलम निवासी ग्राम कांवरा थाना सिकान्दाबाद जनपद बुलन्दशहर को सौन्दा नहर पुल के पास से अन्तर्गत धारा 70(2)/123(1)/137(1)(बी)/87/115(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त इमरान ने बताया कि इसराइल मेरा रिश्तेदार है। उसने मुझसे कहा कि थाना निवाडी क्षेत्र में एक लडकी से मिलने जाना है तुम मेरे साथ चलो। मैं व इसराइल बुलेट मोटरसाइकिल से आये और

इसराइल ने पीडिता को फोन करके बुला लिया। हम दोनों पीडिता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत में ले गये जहां इसराइल ने पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र असलम निवासी ग्राम कांवरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम ------- थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.02.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर जीरो FIR के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पीडिता के साथ अभियुक्त संजय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी सेक्टर-11 विजनयगर गाजियाबाद द्वारा छेडछाड की घटना कारित की गयी उक्त सम्बन्ध में थाना क्रॉसिग रिपब्लिक पर धारा 75 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के धारा 180/183 बीएनएसएस के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त प्रकाश सोनी उर्फ निखिल पुत्र फतेह सोनी निवासी तिगरी चिपियाना खुर्द थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर तथा 01 अन्य अभियुक्त नरेन्द्र नागर का नाम भी प्रकाश में आये एवं घटना पुरानी होने के कारण उपरोक्त अभियोग में धारा 376 व 376डी भादवि की वृद्धि की गयी तथा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त प्रकाश सोनी उर्फ निखिल पुत्र फतेह सोनी को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 01.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त संजय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी डी-118 सैक्टर-11 थाना विजयनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष को विजयनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं पीडिता / वादिया को काफी समय से जानता हूं पीडिता मेरे मेडीकल स्टोर पर काम करती थी। मैंने पीडिता को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ छेडछाड व दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी डी-118 सैक्टर-11 थाना विजयनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर दुष्कर्म से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा Real11 Gaming app के पेमेन्ट गेटवे को हैक कर 1.01 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चेक बुक, पासबुक, एटीएम व मोबाइल फोन बरामद , 25 लाख रुपये फ्रीज कराये गये।

दिनांक 17.07.2024 से 18.11.2024 तक श्री अमित यादव के साथ उनकी कम्पनी के Real11 Gaming Mobile app में साइबर अपराधियों द्वारा अपने User ID/वालेट बनाकर उसमें कुछ पैसे जमा कर गेमिंग एप के प्लेटफार्म/पेमेन्ट गेटवे को हैक कर अपने द्वारा जमा की गई धनराशि से अधिक धनराशि वालेट में जमा दिखाकर अपने वालेट से रिफण्ड के रूप में विभिन्न खातों में कुल 1,01,14,095/- रुपये निकालकर साइबर फ्राड की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री अमित यादव द्वारा दिनांक 27.11.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा इस साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य अभियुक्त 1. देशराज पुत्र पाटनदीन निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश 2.अभिषेक कुमार पुत्र मायाराम निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश 3. आकाश पुत्र देशराज निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश को साइबर अपराध में प्रयुक्त पासबुक, चेकबुक, एटीएम एवं मोबाइल फोन के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त देशराज ने पूछताछ में बताया गया कि उसका बेटा रजनीश पिछले काफी समय से तमिलनाडू में रहता है, वह तथा उसका दूसरा बेटा आनन्द जो झारखण्ड में रहता है, दोनों कुछ लोगों के साथ मिलकर गेमिंग एप को हैक कर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इन दोनों के निर्देशन में मैंने तथा मेरे गाँव के अन्य लोगों ने बैंक में खाते खुलवाकर तथा अपने-अपने मोबाइल नम्बरों से Real11 Gaming app में User ID बनाकर गेमिंग एप के वालेट में कुछ पैसे जमा करते थे। मेरे बेटे रजनीश व आनन्द अपने साथियों के साथ मिलकर गेमिंग एप के प्लेटफार्म पेमेन्ट गेटवे/साफ्टवेयर में API के माध्यम से एप को हैक कर Transaction Manipulation / Micro Seconds में Multiple Times Contest Cancel के द्वारा वालेट में जमा की गई धनराशि को कई गुना बढा कर वालेट से धनराशि को लिंक बैंक खातों में Withdraw कर लेते थे। इस प्रकार अभियुक्त गण ने रिफण्ड के रूप में साइबर धोखाधड़ी कर 20 बैंक खातों में कुल 1,01,14,095/- रुपये प्राप्त किये हैं।

घटना के पैसे देशराज के बैंक खाते से एटीएम से निकालते हुए सीसीटीवी फुटेज में पैसे निकालने वाले की शिनाख्त देशराज के पुत्र आनन्द के रूप में हुई है। आनन्द वर्तमान में थाना शहर पलामू झारखंड के मुकदमे में जेल में बन्द है। अभियुक्त रजनीश की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. देशराज पुत्र पाटनदीन निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश उम्र करीब 54 वर्ष, शिक्षा – 10वीं
2. अभिषेक कुमार पुत्र मायाराम निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश उम्र करीब 24 वर्ष, शिक्षा – ITI

3. आकाश पुत्र देशराज निवासी कुतलूपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश उम्र करीब 19 वर्ष, शिक्षा – 10वीं

बरामदगी का विवरण – 02 मोबाइल फोन, 05 चैकबुक, 10 पासबुक, 06 एटीएम कार्ड

गिरफ्तारी करने वाली टीम - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।